24.02.2025 वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 21.09.2024 को अपने अधिवक्ता की मार्फत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी पी सी का पेश किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि "वादिया ने अपने वाद पत्र दर्शाया है कि उसके पति दुली चन्द पुत्र नत्थु राम जाति मेघवाल निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वह विधिक उत्तराधिकारी है। मगर वाद पत्र के साथ कोई उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अथवा वारिसनामा पेश नहीं किया। इस कारण वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद विधि अनुसार सम्पूर्ण नहीं है। वादिया द्वारा अपने वाद पत्र में किसी भी तरह से विधि के तरीके को नहीं अपनाया है। वादिया का वाद विधि द्वारा वर्जित है। जो कि ऐसी सूरत में आदेश 7 नियम 11 के सबक्लोज (घ) के अनुसार वादिया का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जावे। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादिया ने वाद पत्र के साथ कोई उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अथवा वारिसनामा पेश नहीं किया। वादिया का वाद विधि द्वारा वर्जित है। जोकि ऐसी सूरत में आदेश 7 नियम 11 के सबक्लोज (घ) के अनुसार वादिया का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जावे। अधिवक्ता वादीया ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद संस्थित करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। वादिया द्वारा अपने वाद पत्र के साथ अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें पत्नी का नाम राजवंती (वादिया) अंकित है। साथ ही वादिया द्वारा अपने आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की है जिनमें वादिया का नाम राजवंती पत्नी दुली चन्द अंकित है। पटवारी हल्का द्वारा [illegible] रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है। जिसमें स्पष्ट अंकित है कि स्व0 श्री दुलीचन्द की एकमात्र वारिस वादिया राजवंती है। प्रतिवादी ने यह प्रार्थना पत्र वाद को देरीना करने के लिए प्रस्तुत किया है। आज दिनांक तक प्रतिवादी द्वारा जानवूझकर वाद पत्र में अपना जवाव प्रस्तुत नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:12:45 IST
Reason: SelfAttested

किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी भारी जुर्माने के साथ निरस्त किया जावे तथा प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादिया द्वारा अपने वाद पत्र के साथ अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें पत्नी का नाम राजवंती अंकित है, वादिया द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड में वादिया का नाम राजवंती पत्नी दूली चन्द अंकित है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार स्व0 श्री दुलीचन्द की एकमात्र वारिस वादिया राजवंती है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया यही माना जावेगा कि स्व0 दुलीचन्द की वादिया राजवंती विधिक उत्तराधिकारी है तथा वाद प्रस्तुत करने की अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 निरस्त किया जाता है।

प्रतिवादीगण को इससे पूर्व जवाब प्रस्तुत करने के लिए काफी अवसर दिए जा चुके हैं, न्यायहित में प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादीगण दि0 10/03/25 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:12:45 IST
Reason: SelfAttested